चेक बाउंस और दिवाला प्रक्रिया: मोरेटोरियम का दायरा

अर्थव्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया (मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-II और III) | समाचार संदर्भ: 27 मई 2026 का न्यायिक संदर्भ, जून में व्याख्यात्मक चर्चा | प्रकाशित: 24 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ ने 27 मई 2026 को चेक अनादरण और व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया के बीच संबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न तीन-न्यायाधीश पीठ के विचार के लिए भेजे। विवाद यह है कि दिवाला प्रक्रिया की रोक चेक बाउंस की पूरी कार्यवाही पर लागू हो या केवल उसके प्रतिकर वाले हिस्से पर।

पीठ ने आपराधिक और प्रतिकर संबंधी पहलुओं को अलग करने का अपना विश्लेषण दिया, लेकिन अंतिम निष्कर्ष में व्यापक और प्रामाणिक निर्णय के लिए बड़ी पीठ की जरूरत बताई। इसे पहले के बड़े पीठ के फैसले को दो न्यायाधीशों द्वारा अंतिम रूप से पलट देना नहीं समझना चाहिए।

चेक अनादरण क्या है?

बैंक द्वारा चेक का भुगतान न किया जाना सामान्य भाषा में चेक बाउंस कहलाता है। लेकिन हर तकनीकी कारण से लौटा चेक अपने आप परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 का अपराध सिद्ध नहीं करता। कानून में लागू होने की शर्तें, वैध देनदारी, नोटिस और भुगतान का अवसर जैसे प्रश्न देखे जाते हैं।

धारा 138 का उद्देश्य चेक से भुगतान की विश्वसनीयता बनाए रखना है। संबंधित शर्तें पूरी होने पर उसमें कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अदालत शिकायतकर्ता को प्रतिकर देने का निर्देश भी दे सकती है। यही दोहरा स्वरूप दिवाला कानून के साथ उसके संबंध को जटिल बनाता है।

दिवाला और मोरेटोरियम:

दिवाला प्रक्रिया ऋण और देनदार की आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने का कानूनी रास्ता है। 'मोरेटोरियम' कुछ कानूनी कार्रवाइयों पर अस्थायी रोक को कहते हैं। इसका उद्देश्य ऋण का स्वतः माफ हो जाना नहीं, प्रक्रिया के दौरान संपत्ति और दावों को व्यवस्थित रखना है।

अगर हर ऋणदाता अलग-अलग वसूली करने लगे तो देनदार की संपत्ति बिखर सकती है और कुछ ऋणदाताओं को दूसरों से पहले पूरा भुगतान मिल सकता है। रोक इस होड़ को सीमित करने और सामूहिक प्रक्रिया को मौका देने में मदद करती है। लेकिन उसका दायरा संबंधित धारा और कार्यवाही पर निर्भर करता है।

कंपनी और व्यक्ति का प्रश्न अलग:

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में कंपनी की प्रक्रिया और व्यक्ति से संबंधित प्रक्रिया के अलग प्रावधान हैं। धारा 14 कंपनी की दिवाला समाधान प्रक्रिया से जुड़ी रोक का महत्वपूर्ण प्रावधान है। वर्तमान विवाद मुख्यतः भाग-III की व्यक्तिगत दिवाला और दिवालियापन की रोक से जुड़ा है।

भाग-III के प्रावधानों को लागू करने का ढाँचा चरणबद्ध रहा है। इसलिए इस मामले को देश के हर व्यक्ति के हर प्रकार के कर्ज पर स्वतः लागू सामान्य छूट समझना गलत होगा। व्यक्ति की पात्रता, लागू अधिसूचना और प्रक्रिया की स्थिति का परीक्षण जरूरी है।

धारा 96 और 101 में अंतर:

धारा 96: संबंधित दिवाला आवेदन दाखिल होने के साथ अंतरिम रोक की व्यवस्था से जुड़ी है।

धारा 101: आवेदन स्वीकार होने के बाद की रोक से जुड़ी है।

निर्णय में बाद की दिवालियापन प्रक्रिया से संबंधित धाराओं 124 और 128 की भी चर्चा हुई। इसलिए 'दिवाला शुरू हुआ' जैसे सामान्य वाक्य से हर चरण की रोक का एक ही दायरा नहीं मानना चाहिए। इस मामले में भी प्रक्रिया समय के साथ अलग चरणों तक पहुँची थी।

मुख्य टकराव कहाँ है?

आपराधिक पहलू: चेक भुगतान की विश्वसनीयता के लिए कानून उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। अगर दिवाला आवेदन हर आपराधिक कार्यवाही को रोक दे तो व्यक्तिगत दंडात्मक जवाबदेही कमजोर पड़ सकती है।

प्रतिकर का पहलू: शिकायतकर्ता को देनदार की संपत्ति से पैसा दिलाना अन्य ऋणदाताओं के हित को प्रभावित कर सकता है। दिवाला प्रक्रिया का लक्ष्य संपत्ति का व्यवस्थित उपयोग है; किसी एक दावे की अलग वसूली इस व्यवस्था से टकरा सकती है।

इसीलिए प्रश्न केवल 'रोक लगेगी या नहीं' नहीं है। यह भी देखना होगा कि कार्यवाही का कौन-सा हिस्सा, किस चरण में और किस उद्देश्य से चल रहा है।

पीठ ने दो स्तरों का विचार रखा:

27 मई के निर्णय में पीठ ने पहले स्तर को अपराध तय करने, दोषसिद्धि और दंड से जोड़ा। दूसरे स्तर को प्रतिकर संबंधी पहलू से जोड़ा, जिसमें देनदार की संपत्ति से शिकायतकर्ता को आर्थिक राहत देने का प्रश्न आता है।

पीठ का विचार था कि व्यक्तिगत दिवाला की रोक आपराधिक पहलू को नहीं ढकनी चाहिए, जबकि प्रतिकर की वसूली से संपत्ति घटने का सवाल अलग है। निर्णय के अंतिम हिस्से ने फिर इन्हीं जटिलताओं पर तीन-न्यायाधीश पीठ से प्रामाणिक विचार कराने का निर्देश दिया। इसलिए इसे हर लंबित मुकदमे के लिए अंतिम, निर्विवाद व्यवहारिक परिणाम बताना उचित नहीं।

पुराने निर्णय की भूमिका:

2021 में तीन-न्यायाधीश पीठ के पी. मोहनराज निर्णय में कंपनी की धारा 14 वाली रोक और धारा 138 की कार्यवाही का संबंध समझाया गया था। मई 2026 की पीठ ने चेक अनादरण के आपराधिक तथा प्रतिकर स्वरूप के विश्लेषण पर पुनर्विचार की जरूरत जताई।

छोटी पीठ किसी बड़ी पीठ के बाध्यकारी निर्णय को केवल असहमति व्यक्त करके नहीं बदल देती। न्यायिक अनुशासन के कारण प्रश्न उचित बड़ी पीठ के सामने रखा जाता है। परीक्षा में 'संदर्भ भेजा गया' और 'अंतिम रूप से कानून बदल गया' का अंतर महत्वपूर्ण है।

निर्देशकों की स्थिति:

कंपनी के चेक से संबंधित मामले में निदेशकों की जिम्मेदारी का प्रश्न भी उठ सकता है। धारा 141 के तहत लागू शर्तें और व्यक्ति की भूमिका प्रासंगिक हैं। हर निदेशक केवल पदनाम के कारण स्वतः दोषी नहीं हो जाता।

यदि संबंधित व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया में है तो उसके खिलाफ आपराधिक जवाबदेही और उसकी संपत्ति से प्रतिकर की वसूली अलग प्रश्न हो सकते हैं। इसी भेद की जाँच इस निर्णय के विश्लेषण में की गई है। इसे किसी खास व्यक्ति की दोषमुक्ति या कर्जमाफी का आदेश नहीं माना जा सकता।

व्यावहारिक और नीतिगत महत्व:

एक ओर ऋणदाता को भुगतान और भरोसेमंद चेक प्रणाली चाहिए। दूसरी ओर सामूहिक दिवाला प्रक्रिया में समान रूप से स्थित ऋणदाताओं के हित और देनदार को पुनर्गठन का अवसर सुरक्षित रखना है। दोनों कानूनों की अलग भूमिका पहचानना संतुलन की शुरुआत है।

यह लेख मई के संदर्भ-निर्णय की व्याख्या करता है। बड़ी पीठ के किसी बाद के अंतिम निर्णय की इस लेख में पुष्टि नहीं की गई है। किसी वास्तविक मुकदमे में वर्तमान आदेश और लागू कानून की अलग जाँच जरूरी होगी।

मुख्य परीक्षा शैली: अभ्यास प्रश्न

चेक अनादरण की दंडात्मक जवाबदेही और दिवाला प्रक्रिया में ऋणदाताओं के सामूहिक हित के बीच संतुलन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: चेक अनादरण कानून भुगतान प्रणाली में भरोसा बढ़ाता है, जबकि दिवाला कानून ऋण और संपत्ति के व्यवस्थित निपटारे का ढाँचा देता है। दोनों के उद्देश्य अलग होते हुए भी एक मामले में टकरा सकते हैं।

मुख्य भाग में: यदि व्यक्तिगत दिवाला हर आपराधिक जवाबदेही रोक दे तो चेक-अनादरण कानून की दंडात्मक कसौटी कमजोर होगी। इसके विपरीत, शिकायतकर्ता को अलग प्रतिकर-वसूली की छूट से अन्य ऋणदाता पीछे रह सकते हैं और संपत्ति घट सकती है। मई 2026 की पीठ ने इन्हीं कारणों से आपराधिक और प्रतिकर पहलुओं का अलग विश्लेषण किया तथा प्रश्न बड़ी पीठ को भेजे। रोक का दायरा तय करते समय कंपनी और व्यक्ति, प्रक्रिया के चरण तथा लागू धारा में अंतर जरूरी है।

निष्कर्ष में: संतुलन का उद्देश्य न दिवाला को अपराध से बचने की ढाल बनाना है और न एक ऋणदाता की वसूली से सामूहिक प्रक्रिया निष्फल करना।

स्रोत और सीमाएँ

- सर्वोच्च न्यायालय: 27 मई 2026 का मूल संदर्भ-निर्णय (पढ़ा): https://api.sci.gov.in/supremecourt/2024/37189/37189_2024_7_1501_71653_Judgement_27-May-2026.pdf
- दिवाला बोर्ड: व्यक्तिगत गारंटरों की प्रक्रिया का परिचय (पढ़ा): https://ibbi.gov.in/uploads/whatsnew/cabcef714322b0eaf0de706f3c135ed3.pdf
- India Code: परक्राम्य लिखत अधिनियम का पाठ: https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15327/1/negotiable_instruments_act%2C_1881.pdf
- 4 जून 2026 का कानूनी व्याख्यात्मक लेख (पढ़ा): https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/can-insolvency-proceedings-shield-you-in-a-cheque-bounce-case-the-legal-conflict-explained-10723998/
- 29 मई 2026 की स्वतंत्र कानूनी रिपोर्ट (पढ़ा): https://www.verdictum.in/supreme-court/dineshchand-surana-v-uco-bank-2026-insc-579-part-iii-ibc-moratorium-conflict-to-larger-bench-1614920
- **सीमाएँ:** 27 मई का निर्णय प्रश्नों को तीन-न्यायाधीश पीठ को भेजता है; पहले के बड़ी पीठ के निर्णय का अंतिम उलटाव नहीं। बाद की तीन-न्यायाधीश पीठ की कार्यवाही की स्थिति इस लेख में तय नहीं की गई। धारा 138 की सामग्री मूल निर्णय में उद्धृत पाठ से पढ़ी गई; अधिनियम का पूर्ण प्राथमिक पाठ स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं। व्यक्तिगत गारंटर प्रक्रिया का परिचय-पत्रक पुराना है; अक्टूबर 2026 तक सभी व्यक्तियों पर लागू होने का सार्वभौमिक दावा नहीं किया गया।

इसी विषय का प्रारंभिक परीक्षा (तथ्य) लेख: चेक बाउंस और दिवाला प्रक्रिया — प्रमुख तथ्य